Seeking Public Comments / Opinion on
Proposed Amendment of Jute & Jute Textiles Control Order 2016

The Office of the Jute Commissioner seeks public opinion / comments before making necessary amendment in Jute & Jute Textiles Control Order 2016; with the intent of widening the manufacturing base of B. Twill jute bags for use of Public Distribution System (PDS) by including processors / convertors of jute bags from intermediate stage i.e. yarn / twine into the supply chain as producers; apart from the existing jute mills, so as to close down the gap between the demand and the supply of such bags, possibly to a large extent. The proposed Amendment No. 1 to the Jute & Jute Textiles Control Order 2016 is as follows -

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Amendment No. 1 to the Jute and Jute Textiles Control Order 2016 of the Ministry of Textiles, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II – Section 3 – Sub-section (ii) vide number S.O. 382(E), dated the 4th February, 2016 namely:-

In the said Order, the expression under paragraph 2 (c) is to be replaced –

For –

"jute mill" means a manufacturer producing jute textiles from raw jute involving mechanical processes or electrical processes or both,

To be replaced with –

"jute mill" means a manufacturer producing jute textiles from raw jute / jute yarn / jute twine involving mechanical processes or electrical processes or both processes.

Comments / Opinion from general public / concerned stakeholders / interested persons etc. should reach the Jute Commissioner at the below mentioned address within 45 (Forty-Five) days from the date of issue of this Notification.

Office of Jute Commissioner
CGO Complex, 4th Floor, E&F Wing, DF Block
Salt Lake, Sector – 1, Kolkata – 700064 (WB)
E-mail – jcoffice@jutecomm.gov.in

जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 में प्रस्तावित संशोधन पर सार्वजनिक टिप्पणियों / मतों की मांग

पटसन आयुक्त कार्यालय ने जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 में आवश्यक संशोधन करने से पहले सार्वजनिक राय / टिप्पणी मांगी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उपयोग के लिए बी ट्विल जूट बैग के विनिर्माण आधार का विस्तार करने के इरादे से मध्यवर्ती चरण से मौजूदा जूट मिलों के अलावां, जूट बैग के संसाधक/कनवर्टर यानी सुतली/ट्विन को उत्पादको के रूप में आपूर्ति श्रृंखला में शामिल किया गया है:- ताकि इस तरह के बैग की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को संभवत: काफी हद तक बंद किया जा सके। जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 का प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 इस प्रकार है -

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार राजपत्र सं. 3 - एस.ओ.382(ई), दिनांक 4 फरवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग-II- धारा 3 - उप-धारा (ii) में प्रकाशित कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 द्वारा निम्नलिखित संशोधन संख्या 1 की जाती है अर्थात:

उक्त आदेश में, पैरा 2 (ग) के तहत अभिव्यक्ति को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाना है -

"जूट मिल" का अर्थ है कच्चे जूट से जूट वस्त्रों का उत्पादन करने वाला निर्माता जिसमें यांत्रिक प्रक्रियाएं या विद्युत प्रक्रियाएं या दोनों शामिल है:- के लिए

"जूट मिल" का अर्थ है कच्चे जूट/जूट सुतली से जूट वसत्रों का उत्पादन करने वाले निर्माता जिसमें यांत्रिक प्रक्रियाएं या विद्युत प्रक्रियाएं या दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं से प्रतिस्थापित किया जाता है।

आम जनता/ संबंधित पणधारियों/ इच्छुक व्यक्तिय़ों आदि से टिप्पणियां/मत इस अधिसूचना के जारी होने के 45(पैंतालीस) दिनों के अंदर जूट आयुक्त के पास नीचे उल्लिखित पते पर पहुँचा जाना चाहिए।

पटसन आयुक्त का कार्यालय
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल
ई एवं एफ विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सॉल्ट लेक, सेक्टर-1 कोलकाता 700064 (पं.बं.)
ई-मेल - jcoffice@jutecomm.gov.in